ग्रामीण विकास की समस्याएँ एवं संभावनाएँ : भागलपुर जिला (बिहार) के संदर्भ में एक विश्लेषण

डॉ0 संजीव कुमार

वरीय शोधकर्त्ता

स्नातकोत्तर भूगोल विभाग

तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

निबंध–सार

भारत गाँवों का देश है जिसकी दो तिहाई आबादी ग्रामीण है तथा अजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। इस विशाल लोकतांत्रिक देश में ग्रामीणों की उन्नति के बिना सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति संभव नहीं है। ग्रामीण विकास राष्ट्र की पहली आवश्यकता है तभी तो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को सर्वाधिक महत्व दिया गया। राष्ट्र निर्माताओं, योजनाकारों, अर्थ–शास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिक नियोजन के लिए गाँव को आधार बनाया तथा ग्रामीण विकास पर सर्वाधिक बल दिया, किन्तु ग्राम बहुल इस देश एवं राज्य के गाँव धीरे–धीरे विपन्न होते जा रहे हैं। गाँव समस्याओं से आक्रान्त है। गाँवों की कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। कृषि के लिए आधारभूत संरचना का सर्वथा अभाव है। परिवहन, सड़क, बिजली पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की नितान्त कमी है, फलतः आर्थिक विपन्नता एवं रोजगार की कमी के चलते नगरों की ओर निरन्तर पलायन जारी है। अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ती जा रही है। अतः ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास की गति को तेज करना राष्ट्रीय लक्ष्य है ताकि हमारा विकासशील देश बापू के सपनों को साकार करते हुए उन्नत हो सके।

कुंजी शब्द – आजीविका, नियोजन, विपन्न, राष्ट्रीय

भूमिका

भारत एक विशाल ग्राम–बहुल देश है जहाँ लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गाँवों में निवास करती है। आजादी के 7 दशक पश्चात् भी गाँवों की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाई है। आधारभूत भौतिक संरचना, सामाजिक एवं मानवीय समस्याएँ कम नहीं हो पा रही है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी विकराल रूप में विद्यमान है। यद्यपि योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समस्याओं के निराकरण के भरसक प्रयास हुए हैं, किन्तु इसका वास्तविक लाभ ग्रामीण जनता तक नहीं पहुँच पाया है। मनरेगा ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वाकांक्षी केन्द्रीय योजना है।

अध्ययन का उद्देश्य :

शोध अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण विकास की समस्याओं की पहचान कर उसके समाधान हेतु संभावनाओं की तलाश करना है।

अध्ययन क्षेत्र :

भागलपुर बिहार राज्य का एक प्राचीन और ऐतिहासिक जिला है। जिले का घनत्व 1180 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार 20^0 03′ 40″ से 25^0 30′ उत्तरी अक्षांश तथा 86^0 30′ से 87^0 30′ पूर्वी देशांतरों के मध्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 2570 वर्ग किलोमीटर तथा 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 3032226 जिसमें ग्रामीण 2432126 तथा नगरीय 600100 है।

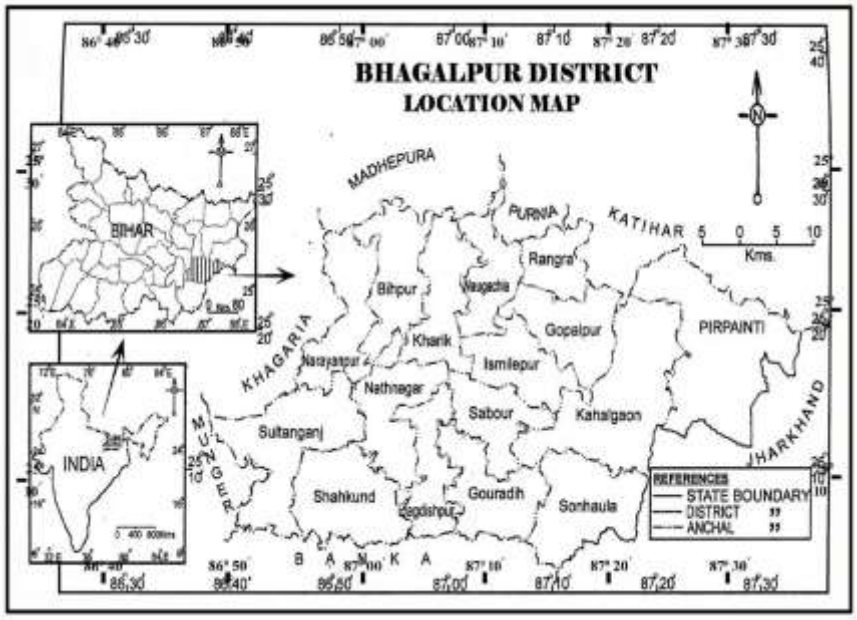

चित्र सं0 : 1.1

परिकल्पना :

- ग्रामीण विकास का संबंध भौतिक अवसंरचना एवं मानव विकास से है।
- ग्रामीण विकास योजनाएँ गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में बहुत हदतक सफल हुई है।
- ग्रामीण विकास योजनाओं के लक्ष्य की पूर्ति में बाधक तत्त्व अशिक्षा, जागरूकता का अभाव है।

शोध विधि :

इस शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही आंकड़े का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े शोधकर्त्ता के व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित तथा द्वितीयक आंकड़े ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय, भागलपुर से प्राप्त किया गया है।

ग्रामीण विकास की बाधाएँ

ग्रामीण विकास की अवधारणा गाँधी जी के सिद्धान्तों एवं निर्देशो के आधार पर विकसित हुई है। गाँधी जी का सपना था रामराज्य एवं स्वराज की स्थापना जिसे साकार करने का प्रयास पंचायती राज द्वारा जारी है। भारत में ग्रामीण जनता को एक सूत्र में बाँधने एवं सत्ता में भागीदार बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था प्रारम्भ की गई। परन्तु प्रश्न है कि क्या वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा भारत के लोगों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों से शत–प्रतिशत लाभ मिल पा रहा है। वास्तव में हम गाँधी जी के सपनों को साकार नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए निम्नांकित कारक उत्तरदायी हैं :–

- **नैतिकता का अभाव**

वर्त्तमान समय में सरकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों में नैतिकता का नितान्त अभाव है। इसमें सबसे अधिक दोषी सरकारी कर्मचारी को माना जाता है। ऐसा देखा जाता है कि अधिक पैसे वाले वेतनभोगी अर्थात् ऊँचे पदाँ पर आसीन अधिकारी सर्वप्रथम किसी भी योजना में अपना कमीशन काट कर संचिका को आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही नीचे वाले कर्मचारी के पास संचिका आती है तो सभी अपना कमीशन काटकर रख लेते हैं तथा लगभग 20 से 25% राशि धरातल पर कार्य करने के लिए मिलती है। परिणामस्वरूप वह कार्य इतना कमजोर होता है कि कम ही दिनों में टूट कर समाप्त हो जाता है। सभी लोग अपने अधिकार और कर्तव्य को समझते हैं लेकिन अधिक धन कमाने की इच्छा से गलत कार्य करते हैं। इस तथ्य को भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने भली–भाँति स्वीकार किया है कि जनता के पास सरकार द्वारा आवंटित 1रु0 का मात्र 15 पैसे ही जमीन पर पहुँच पाता है, शेष 85 पैसे ऊपर से लेकर नीचे स्तर के अधिकारियों, राजनेताओं और बिचौलियों की जेब भरने के लिए खर्च हो जाता है।

- **अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बिचौलियों के माध्यम से अपने अधिकार का भय दिखाना**

अशिक्षित लोगों को सरकार द्वारा चलायी जा रही विकास योजनाओं की सही जानकारी नहीं रहती है। बिचौलियों द्वारा अधिकारी गरीब जनता से किसी भी योजना का लाभ लेने के बदले भारी रिश्वत की माँग करते हैं। रिश्वत नहीं देने पर चयन सूची से नाम काटने की धमकी दी जाती है।

- **दोषपूर्ण प्रबंधन**

ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी योजना का क्रियान्वयन सबसे पहले विशेषज्ञों द्वारा स्थल निरीक्षण कराकर ही प्रारम्भ करना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं हो पाता है। कोई भी कार्य अधूरा ही रह जाता है और लम्बी अवधि के बाद अधूरे कार्य को पूरा करता है।

- **जनप्रतिनिधियों पर अपराधियों का वर्चस्व**

वर्त्तमान समय में किसी योजना का कार्य शुरू करने पर अपराधियों द्वारा रंगदारी के रूप में बड़ी मात्रा में रूपये की माँग की जाती है। ठीकेदार अगर रूपये देने में मुकरते हैं तो जान से मार देने की धमकी दी जाती है। ऐसी स्थिति में लाचार होकर अपराधियों को रकम देना पड़ता है और इसका असर कार्य की गुणवत्ता पर पड़ता है।

- **पंचायत भवन का अभाव**

वर्त्तमान समय में अधिकांश पंचायतों में पंचायत भवन नहीं होने के कारण नियमित रूप से मुखिया और सरपंच जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नहीं बैठते हैं। जिन व्यक्तियों का मुखिया या संरपच से आपसी मनमुटाव रहता है तो वे जनप्रतिधियों के दरवाजे पर जाने से कतराते है और यदि चले भी जाते हैं तो खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं।

- **आपराधिक छवि वाले लोगों का चुनाव में भाग लेना**

वर्त्तमान समय में आपराधिक छवि वाले लोग चुनाव लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में यदि अपराधी चुनाव जीत जाते हैं तो सही रूप से जनता की सेवा नहीं कर पाते हैं। वे अपने कार्यकाल तक गलत ढंग से विकास योजनाओं के नाम पर सिर्फ रूपये कमाते हैं। इसके साथ ही चुनाव में मतदाताओं को डराकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मजबूर करते हैं। भय से लोग मतदान नहीं करना चाहते है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है।

- **स्वच्छ छवि के लोगों का चुनाव लड़ने में अरूचि**

किसी भी चुनाव में समाज में स्वच्छ छवि के लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण गंदी राजनीति और बढ़ता अपराधीकरण है। सही बोलने वाले लोगों की बातों को दबा दिया जाता है। यदि कोई सही व्यकित समाज के हित में बोलने के लिए हिम्मत जुटाता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है और डर से समाज के लोग भी साथ देने से मुकर जाते हैं। पहले समाज में बूढ़े–बुजुर्ग जो फैसला कर देते थे, उसे सामाजिक स्तर पर मानना पड़ता था। इंसान और कमजोर व्यक्ति को न्याय मिलता था। आज समाज में सही व्यक्ति के आगे नहीं आने के कारण चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

- **योजनाओं की सूची को सार्वजनिक नहीं करना**

वर्त्तमान समय में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से लाभार्थी की अंतिम सूची को सूचनापट पर साटा नहीं जाता है। परिणामस्वरूप वे अपने करीबी लोगों को लाभ दिलाने में सफल हो पाते हैं और सही व्यक्ति लाभ से वंचित हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका फर्जी हस्ताक्षर कर राशि उठा लेते हैं। अतः गृहविहीन लोग सिर्फ सपने में ही पक्के घर में सोते हैं।

- **बी0 पी0 एल0 सूची का दोषपूर्ण निर्धारण**

समाज में कुछ वैसे भी लोग जिन्हें रहने के लिए मात्र जमीन है और इसके अलावे उनके पास अन्न उपजाने के लिए जमीन नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति जनप्रतिनिधियों की गलत नीति के कारण ए0 पी0 एल0 में आ जाता है। इसके साथ ही अपने मनचाहे व्यक्ति या रिश्तेदार या धनी व्यक्ति को बी0 पी0 एल0 सूची के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। इससे लोगों में असंतोष बढ़ता है।

- **पक्षपातपूर्ण निर्णय**

जनप्रतिनिधियों द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय के कारण पंचायत के कुछ लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। जो लोग जनप्रतिनिधि के विचारों को बिना सोचे–समझे समर्थन करते रहते हैं, वे लाभ लेने में सफल हो जाते हैं।

- **बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार का अभाव**

पंचायत के बेरोजगार लोग जो जनप्रतिनिधियों की दलाली करते है उन्हें ही रोजगार मिलता है। इस तरह की गलत नीति के कारण अधिकांश युवक लाभ से वंचित रह जाते है। वर्त्तमान समय में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिन रोजगार देने की बात है फिर भी सभी बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं मिलता है।

- **जातिगत पेशा को बढ़ावा नहीं दिया जाना**

सरकार द्वारा जातिगत पेशे वाले लोग जैसे– चमार, धोबी, नाई, बढ़ई, लोहार, और सोनार आदि को सही ढंग से सरकार द्वारा चलाये जा रहे व्यवसाय में शत–प्रतिशत लाभ नहीं दिया जाता है, परिणामस्वरूप बेरोजगारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।

- **साक्षरता की कमी**

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकांश लोग सिर्फ अपना हस्ताक्षर करना जानते हैं, लेकिन वे चिट्ठी–पत्री या अखबार तक नहीं पढ़ पाते हैं। परिणामस्वरूप सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को पत्रिकाओं में पढ़कर जान नहीं पाते, जिससे वे अपने अधिकार और कर्त्तव्य को भूल जाते हैं। ये सभी व्यक्ति समाज में दलालों के माध्यम से शोषित होते हैं।

- **आम सभा का नियमित रूप से संचालित न होना**

ग्राम पंचायत के मुखिया नियमित रूप से आम सभा नहीं कराते हैं। गाँव के लोग किसी सार्वजनिक स्थान पर एक जगह एकत्र होकर किसी भी विकास सम्बधी विषय पर स्वतंत्र रूप से बहस नहीं कर सकते हैं।

- **रोजगार सम्बधी प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का अभाव**

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला नहीं लगाया जाता है। परिणामस्वरूप महिलाऐं दिन भर बैठकर समय बिता देती हैं। प्रति व्यक्ति आय दिनों–दिन कम होती जा रहीं है।

- **कृषि आधारित उधोग का अभाव एवं पलायन**

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उधोग का विकास नहीं होने के कारण बेरोजगार युवकों को रोजगार की खोज में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में पलायन करना पड़ता है।

- **शौचालय का अभाव**

अधिकांश गरीब लोगों के घरों में आज भी सरकार द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। इस कारण महिलाएँ सड़क किनारे शौच के लिए निकलती है जिससे गंदगी फैलती है।

- **बाढ़ की समस्या**

अध्ययन क्षेत्र में प्रतिवर्ष गंगा, कोशी और चांदन नदियों द्वारा बाढ़ आती है जिससे प्रतिवर्ष कच्चा घर गिरकर ध्वस्त हो जाता है। भागलपुर जिले में सबसे अधिक तबाही जगदीशपुर, बिहपुर, गोपालपुर और नवगछिया प्रखंडों में होती है।

- **सरकारी कर्मचारी और पुलिस प्रशासन की उदासीनता**

बाहुबली लोग सरकारी कर्मचारी और पुलिस प्रशासन को रिश्वत देकर दियारा भूमि में जबरन कलाई लगा कर भारी रूपये की उगाही करते हैं। यह फसल 'काला सोना' के नाम से जानी जाती है।

निदान के उपाय

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण विकास में आनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नांकित उपाय किये जाने की आवश्यकता है :–

- **सामाजिक चेतना की आवश्यकता**

समाज के लोगों को अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों को समझने की आवश्यकता है। यदि भ्रष्ट अधिकारी और जनप्रतिनिधि रिश्वत लेने की इच्छा जाहिर करता है तो ऐसे लोगों के विरूद्ध विरोध का स्वर मुखर करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है और गुप्त रूप से खुफिया विभाग को जानकारी देने की जरूरत है।

- **पदाधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता**

जिस प्रकार सैनिकों को अपने कर्त्तव्य पर चलने के लिए धर्मगुरूओं द्वारा धर्मशास्त्रों का पाठ पढ़ाया जाता है ताकि वह ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर सकें उसी प्रकार सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को प्रतिदिन नियमित रूप से धार्मिक शिक्षकों द्वारा नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाय, जिससे वे रिश्वत लेना अनैतिक अपराध समझें।

- **ग्राम स्तर पर स्वायत्त सामाजिक संगठन का निर्माण**

ग्रामीण स्तर पर बुद्धिजीवी लोगों का एक संगठन बनाने की आवश्यकता है जो समय–समय पर शोषित जनता के समर्थन में भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके।

- **अपराध तंत्र पर नियंत्रण**

अपराधियों के बढ़ते प्रभाव को समाज में कम करने का प्रयास होना चाहिए। अपराधियों द्वारा अपराध करने के कारणों का पता लगाकर उनकी समस्याओं को दूर कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाकर रोजगार मुहैया कराया जाय। इसके वाबजूद अगर भय दिखाकर अपराधी विकास कार्य को प्रभावित करते हैं तो उन्हें कानून के शिकंजे में लाकर कड़ी सजा दी जाए।

- **बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए निर्णय को धरातल पर उतारा जाए**

(क) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी वार्षिक लक्ष्य के अनुसार चयनित लाभुकों को नवनिर्माण हेतु आवास स्वीकृत करेंगे तथा उनकी सूचना संबंधित व्यक्ति को देंगे एवं उस व्यक्ति के नाम से नजदीकी बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवायेंगे/फोटो सहित खाता खुलवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी स्वीकृत लाभुकों की सूची ग्राम पंचायत, समिति, जिला परिषद् एवं उपविकास आयुक्त को भी उपलब्ध करायेगें एवं एक प्रति प्रखंड के सूचना पट पर भी लगायेंगे।

(ख) लाभान्वितों की सूची से अधिकतम छः माह के अन्दर घर का निर्माण स्वयं करना है। घर के लिए दी गई राशि का दुरूपयोग करने की स्थिति में उनके विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दायर कर राशि वसूल की जाय।

(ग) प्रत्येक निर्मित इंदिरा आवास में 30 रू0 की दर से एक सूचना पट्ट (ग्रामीण आवास के प्रतीक चिह्न के साथ) लगाया जाय। इसका खर्च जिला/प्रखंड खाते में इंदिरा आवास बैंक खाता से अर्जित सूद से दिया जाएगा।

इस प्रकार सरकार इन नियमों को कड़ाई से लागू करे और लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी को दंडित किया जाए।

- **ग्रामीण सड़क का पक्कीकरण**

गांव के सर्वांगीण विकास की आधारशिला सड़क होती है। जबतक गांव की सड़क को पक्की कर मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा जाता है तबतक क्षेत्र में विकास की गति में तेजी नहीं आ सकती है।

- **पंचायत स्तर पर विशेष ग्रामीण टास्क फोर्स की व्यवस्था**

पंचायत स्तर पर ग्रामीण टास्क फोर्स का गठन राव जैसी संस्था की तर्ज पर किया जाय जिसका सीधा सम्पर्क केन्द्र अथवा राज्य सचिवालय के गुप्त कोषांग से हो और पंचायत स्तर से लेकर प्रखण्ड और जिला स्तर तक दोषी अधिकारियों के बारे में यथार्थ रिपोर्ट दे और दोषी पाये जाने पर उन्हें सजा देने की व्यवस्था की जाए।

- **पंचायत स्तर पर विशेष अदालत का गठन**

पंचायत स्तर पर ग्रामीण टास्क फोर्स की गोपनीय रिपोर्ट को आधार मानकर एक दिन का विशेष अदालत लगाकर भ्रष्ट जनप्रतिनिधि एवं सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी के दोष साबित हो जाने पर तुरंत सजा सुनाकर मौके पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि को सदा के लिए चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जाए।

- **जनप्रतिनिधि द्वारा ईमानदारीपूर्वक बी0 पी0 एल0 लाभार्थी का चयन**

पंचायत प्रतिनिधि को ईमानदारी पूर्वक लोगों के नाम बी0 पी0 एल0 सूची में अंकित करना चाहिए। इससे समाज में लोगों के बीच सकारात्मक संदेश प्रसारित होता है।

- **रोजगारोन्मुख कार्यो का सृजन**

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अनेक कार्य हैं जिन्हें रोजगारोन्युख बनाकर बेरोजगारी दूर की जा सकती है।

- **पंचायत में आम सभा का नियमित आयोजन हो**

पंचायत में व्यक्तिगत या सामूहिक मुद्दे को आमसभा के माध्यम से बूढ़े–बुजुर्ग द्वारा उठाया जाना चाहिए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों की आमसभा बुलाने के लिए कानूनी रूप से जनता पर दबाव बनाने की आवश्यकता है।

- **प्रत्येक गांव में आबादी के अनुसार सुलभ शौचालय का निर्माण होना चाहिए**

शौचालय के अभाव में महिलाऐं जहाँ–तहाँ शौच करती हैं जिससे गंदगी फैलती है। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक घर में या सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ शौचालय का निर्माण होना चाहिए।

- **प्रत्येक पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने के लिए बुजुर्गों की समिति का गठन**

प्रत्येक पंचायत में 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग लोगों की एक समिति बनायी जाए जो जनप्रतिनिधि द्वारा किये हुए कार्यों पर नजर रखे। ऐसे लोगों का कार्य निष्पक्ष होता है और वे किसी बहकावे में नहीं आते है।

ग्रामीण विकास की संभावनाएँ

इस अध्ययन में ग्रामीण विकास की संभावनाओं की क्षेत्रीय स्थिति का विभिन्न अंचलों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। भागलपुर जिले के विभिन्न अंचलों में ग्रामीण विकास की संभाव्यता को पहचानने के लिए विभिन्न चरों यथा, क्षेत्रफल, जनसंख्या धनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या (SC), जनसंख्या (ST), श्रमिक, बी0 पी0 एल0 परिवारों की संख्या, इंदिरा आवास, आंगनबाड़ी केन्द्र, मनरेगा में कुल योजनाएँ, जॉबकार्ड और प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर कुल 13 चरों के कोटिक्रम निर्धारित कर कुल स्कोर निकाले गये हैं। कुल स्कोर के अंतराल को ध्यान में रखते हुए इन्हें चार वर्गो में विभाजित कर क्षेत्रीय स्तर पर विकास को धरातल पर जाँच हेतु ग्रामीण विकास की संभाव्यता की दशा ज्ञात की गयी है जिसके अन्तर्गत नारायणपुर और इसमाइलपुर आते हैं। 100 से 150 कुल कोटि क्रम वाले अंचलों को उच्च ग्रामीण विकास की संभावना के अंतर्गत रखा गया है जिसमें बिहपुर, खरीक, नवगछिया, रंगराचौक, गोपालपुर, सबौर, गोराडीह और जगदीशपुर आते हैं। 50 से 100 कुल कोटि क्रम वाले को मध्यम ग्रामीण विकास की संभावना के अंतर्गत रखा गया है जिसमें नाथनगर, सुल्तानगंज, शाहकुंड और सन्हौला आते हैं। 50 से कम कुल कोटिक्रम वाले अंचलों को निम्न संभाव्यता के स्तर वाला माना गया। इसके अंतर्गत पीरपैंती और कहलगांव अंचल आते हैं।

निष्कर्ष :

'गाँवों में स्वर्ग बसता है' जैसी परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब गाँवों का पिछड़ापन दूर हो जाए, ग्राम आत्मनिर्भर बने, ग्रामीण स्वावलम्बी एवं समृद्ध हों। उनकी आय में वृद्धि केवल कृषि से संभव नहीं है, वरन् ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास से ग्रामीण क्षेत्र उन्नत बन सकते हैं। गाँवों को समुन्नत बनाने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। भौतिक संरचनाओं जैसे – सड़क, बिजली, पेयजल की आपूर्ति, सिंचाई, कृषि की प्रगति तो आवश्यक है, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, व्यापार जैसे सांस्कृतिक एवं मानवीय तथ्यों में भी वांछित प्रगति लाकर ग्रामीण विकास संभव है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है और जबतक ग्रामीण विकास उच्चतम स्तर तक

न पहुँचेगा देश की आर्थिक समृद्धि संभव नहीं है। आज गाँवों की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि एक समस्या है, गाँव नियोजित ढंग से नहीं बसे हैं। ग्रामीण समस्याओं को हल करने में सरकार के साथ–साथ समाज के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर हम ग्रामीण समस्याओं को हल करने के प्रति प्रतिबद्ध एवं कृतसंकल्प हों तो निश्चय ही ग्रामीण विकास के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।

संदर्भ–सूची :

1. ममोरिया एवं मिश्र जे0 पी0 (2012) : भारत का भूगोल, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा, पृ0 सं0–204.
2. मो0 असलम (1977) : स्टैटिस्कल मेथड इन जोग्राफिकल स्टडीज, राजेश पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0 सं0 – 89–103.